



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्यकार्यालय/ HEAD OFFICE



एन.बी.सी.सी सेंटर, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4th फ्लोर, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली -110023
NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4th Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या एचआरएम-X/7(2)2020/क.हिं.अनु./डीआर/681

दिनांक: 14.10.2025

आदेश

जबकि, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा दिनांक 22.08.2025 के संस्तुति पत्र संख्या एफ.1 /85(14)/2023-आर.IV/एसपीसी-I के माध्यम से श्री वरुण प्रताप सिंह की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी(जेटीओ) के पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी।

जबकि, यूपीएससी की सिफारिश के आधार पर, श्री वरुण प्रताप सिंह से 10.09.2025 को भेजे गए ई-मेल के माध्यम से ईपीएफओ के कुछ कार्यालयों में तैनाती हेतु अपनी वरीयताएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। श्री वरुण प्रताप सिंह ने 18.09.2025 की ई-मेल के माध्यम से अपनी वरीयताएं प्रस्तुत कीं।

और जबकि, श्री वरुण प्रताप सिंह को आंचलिक कार्यालय, दिल्ली एवं उत्तराखंड के दिनांक 19.09.2025 के पत्र के द्वारा 22.09.2025 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया था, जिस पर वे रिपोर्ट करने में विफल रहे।

और जबकि, ईपीएफओ, मुख्यालय ने दिनांक 08.10.2025 की ईमेल के माध्यम से श्री वरुण प्रताप सिंह से ईपीएफओ में ज्वाइन करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था, जिसे वे प्रस्तुत करने में विफल रहे।

और जबकि, आंचलिक कार्यालय, दिल्ली एवं उत्तराखंड ने दिनांक 09.10.2025 के पत्र के माध्यम से श्री वरुण प्रताप सिंह को 13.10.2025 को दस्तावेज़ सत्यापन हेतु उपस्थित होने का एक और अवसर प्रदान किया, जिस पर वे पुनः उपस्थित होने में विफल रहे।

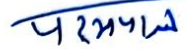
और जबकि, ईपीएफओ, मुख्यालय ने 10.10.2025 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के माध्यम से उम्मीदवार को सूचित किया कि यदि वह 13.10.2025 को दस्तावेज़ सत्यापन हेतु आंचलिक कार्यालय, दिल्ली एवं उत्तराखंड में रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि वह ईपीएफओ में शामिल होने में रुचि नहीं रखता है और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

और जबकि, श्री वरुण प्रताप सिंह ने दिनांक 13.10.2025 के ईमेल के माध्यम से अनुरोध किया है कि उन्हें दिल्ली-एनसीआर के निकट किसी भी कार्यालय में नियुक्त किया जाए। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि नियुक्तियां वरीयता-सह-विकल्प(मेरिट-कम-प्रेफरेंस) के आधार पर तय की गई हैं।

और जबकि, श्री वरुण प्रताप सिंह को दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) कराने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए, परंतु वे इसके लिए उपस्थित होने में विफल रहे हैं।

अतः, अब श्री वरुण प्रताप सिंह की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (जेटीओ) के पद पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

[सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी आदेश]



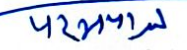
(पीपीएस मैगी)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (भर्ती)

सेवा में,

श्री वरुण प्रताप सिंह,
A-115, नेहरू विहार,
नई दिल्ली - 110054.

प्रतिलिपि:

1. उप-सचिव (एसपीसी-II), यूपीएससी, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली - 110069 को पत्र दिनांक 07-04-202 के संस्तुति पत्र एफ.1/85 (14)/2023-आर. IV/एसपीसी-I के संदर्भ में।



(पीपीएस मैगी)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (भर्ती)